



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56069

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 1212 वर्ष 2026

खेमचंद्र उर्फ खेमू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शिव कुमार सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आरोप पत्र दिनांक 01.05.2010 और संज्ञान आदेश दिनांक 24.05.2010 के साथ-साथ न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम, झांसी में लंबित जीएसटी संख्या 50 वर्ष 2019 (राज्य बनाम साहब सिंह और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो मामला अपराध संख्या 111 वर्ष 2010, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन- मौरानीपुर, जिला- झांसी से उत्पन्न हुआ है।
3. पूर्व के आदेश दिनांक 16.01.2026 के अनुसरण में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अनुदेश प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है। अनुदेशों के आधार पर, उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक को विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2019 के माध्यम से आधार मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही निम्नलिखित मामले के आधार पर शुरू की गई थी:-

"(i) मामला अपराध संख्या 1367 वर्ष 2009, अंतर्गत धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता और धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना मौराईपुर, जिला झांसी।"

5. इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक को उपरोक्त मामले अपराध संख्या 1367 वर्ष 2009 में परीक्षण न्यायालय द्वारा एस.एस.टी. संख्या 26 वर्ष 2010 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2019 के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया गया है, जिसकी प्रति इस आवेदन के अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न की गई है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूंकि आवेदक को आधार मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष के समक्ष उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने का कोई आधार नहीं बचा रह गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आधार मामले में आवेदक को दोषमुक्त कर दिए जाने के बाद, गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत यह कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

7. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2024 0 आईएनएससी 118]** के निर्णय पर भरोसा जताया है और कहा है कि एक बार जब आवेदक को आधार मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है, तो गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है, इसलिए पूरी कार्यवाही अस्थिर है और इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आधार मामले के निरस्त होने, दोषमुक्त होने या खारिज होने के कारण गिरोहबंद अधिनियम की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता। गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत आक्षेपित आरोपपत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता।



9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 11117 वर्ष 2024, निर्णीत दिनांक 03.05.2024] में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों के बाद, यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध आधार मामले की कार्यवाही अब लंबित नहीं है और एक बार जब गिरोह चार्ट में दर्शाए गए आधार मामले की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है या आवेदक को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाही रद्द होने योग्य है।

11. फरहाना (उपरोक्त) मामले के अद्यतन निर्णय में, निर्णीत दिनांक 19.02.2024, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आवेदक के विरुद्ध दर्शाया गया आधार मामला उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही रद्द किया जा चुका है। फरहाना (उपरोक्त) मामले के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे दिए गए हैं।

"12. गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2(बी)(i) का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गिरोह के सदस्य होने का आरोप जिस व्यक्ति पर लगाया गया है, वह असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाए, जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 या 22 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के दायरे में आती हैं। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में प्रस्तुत मामला केवल उपरोक्त उद्धृत धारा 2(बी)(i) तक ही सीमित है और इस प्रावधान की अन्य किसी भी धारा का प्रयोग प्रस्तावित अभियोजन के लिए नहीं किया गया है।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के अभियोजन को जारी रखने के लिए, अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि अपीलार्थियों पर धारा 2(बी) के अंतर्गत परिभाषित असामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले किसी एक या अधिक अपराधों के लिए अभियोजन चलाया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 के अंतर्गत अपराधों के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज एकमात्र प्र.सू.रि. (मामला अपराध संख्या 173 वर्ष 2019) की कार्यवाही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 3 मार्च, 2023 को आवेदन संख्या 7228 वर्ष 2023 में पारित आदेश द्वारा उक्त प्र.सू.रि. को रद्द करने के बाद अपीलार्थीगण दोषमुक्त हो गए हैं।

15. अतः, गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन जारी रखने का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है और परिणामस्वरूप, उक्त अपराध के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन जारी रखना अनुचित है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

16. उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2022 और 6 दिसंबर, 2022 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश रद्द किए जाते हैं और निरस्त कर दिया गया।"

12. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, चूंकि आधार मामले की कार्यवाही आवेदक के विरुद्ध अब लंबित नहीं है, इसलिए आरोपपत्र दिनांक 01.05.2010 और संज्ञान आदेश दिनांक 24.05.2010 के साथ-साथ जीएसटी संख्या 50 वर्ष 2019 (राज्य बनाम साहब सिंह और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मामला अपराध संख्या 111 वर्ष 2010, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन- मौरानीपुर, जिला- झांसी से उत्पन्न होकर न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गिरोहबंद अधिनियम, झांसी में लंबित है, आवेदक के संबंध में ही निरस्त की जाती है।

13. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 मार्च, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।